

वित्त मंत्रालय
संख्या 35 (विनियोग)
ब्याज संदाय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	...	123223.08	123223.08	...	124554.92	124554.92	...	129499.86	129499.86
पूंजी
जोड़	...	123223.08	123223.08	...	124554.92	124554.92	...	129499.86	129499.86
1. ऋण को घटाने के लिए पूर्वभुगतान प्रीमियम	2048	4079.62	4079.62
2. आंतरिक ऋण पर ब्याज									
2.01 बाजार उधार	2049	...	66558.00	...	69000.00	69000.00	...	73333.00	73333.00
घटाइए-उपाजित ब्याज	0049	...	-4532.00	...	-7930.00	-7930.00	...	-4000.00	-4000.00
	निवल	...	62026.00	...	61070.00	61070.00	...	69333.00	69333.00
2.02 क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	2049	...	2629.80	...	3050.00	3050.00	...	5100.00	5100.00
2.03 राजकोषीय हुण्डियों के संबंध में बट्टा	2049	...	470.00	...	893.37	893.37	...	1200.00	1200.00
2.04 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा	2049	...	1344.00	...	1151.00	1151.00	...	1250.00	1250.00
2.05 राजकोषीय हुण्डियों के अंतरण में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित प्रतिभूतियां	2049	...	2845.00	...	1757.00	1757.00
2.06 ऋण का प्रबंध	2049	...	250.00	...	455.00	455.00	...	450.00	450.00
2.07 अर्थोपाय अग्रिम	2049	...	320.00	...	204.00	204.00	...	332.57	332.57
2.08 विशेष प्रतिभूतियों के एवज में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियां	2049	...	4497.30	...	6262.56	6262.56	...	7753.07	7753.07
	जोड़	...	74382.10	...	74842.93	74842.93	...	85418.64	85418.64
3. विदेशी ऋण पर ब्याज	2049	...	3288.15	...	3142.83	3142.83	...	2629.84	2629.84
4. लघु बचतों, भविष्य निधियों, आदि पर ब्याज									
4.01 लघु बचत जमाशियों, प्रमाणपत्रों और पीपीएफ पर ब्याज व प्रचालनात्मक व्यय	2049	...	23480.09	...	20502.53	20502.53	...	19201.36	19201.36
4.02 राज्य भविष्य निधियां	2049	...	3919.66	...	3866.77	3866.77	...	4012.35	4012.35
4.03 बीमा और पेंशन निधियां	2049	...	3015.17	...	3039.90	3039.90	...	3206.66	3206.66
4.04 गैर-सरकारी भविष्य निधियां इत्यादि की विशेष जमाशियां	2049	...	10320.00	...	9874.79	9874.79	...	9754.69	9754.69
4.05 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2049	...	1887.00	...	1920.63	1920.63	...	1920.63	1920.63
4.06 भारतीय यूनिट ट्रस्ट को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2049	...	461.34	...	607.83	607.83	...	439.29	439.29
4.07 जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कंपनियों की विशेष जमाशियां	2049	...	240.10	...	219.32	219.32	...	158.16	158.16
4.08 अन्य विशेष जमाशियां	2049	...	747.87	...	749.92	749.92	...	812.81	812.81
	जोड़	...	44071.23	...	40781.69	40781.69	...	39505.95	39505.95
5. प्रारक्षित निधियों पर ब्याज	2049	...	221.76	...	311.58	311.58	...	353.01	353.01
6. अन्य देनदारियों पर ब्याज									
6.01 कंपनियों को दिए गए विशेष बांड	2049	...	666.83	...	666.83	666.83	...	684.26	684.26
6.02 अन्य	2049	...	593.01	...	729.44	729.44	...	908.16	908.16
कुल जोड़		...	123223.08	...	124554.92	124554.92	...	129499.86	129499.86

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) (ग) के अंतर्गत भारत की समेकित निधि पर "भारित" के रूप में वर्गीकृत है।

2. इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य, दोनों पर ब्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें भविष्य निधियों, सरकार के पास विशेष जमाशियों के अलावा मूल्यहास और रेलवे जैसे वाणिज्यिक विभागों की अन्य

प्रारक्षित निधियों पर देय ब्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केन्द्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं जिसमें आंतरिक और बाह्य ऋण, दोनों के पूर्वभुगतान प्रीमियम की कमी शामिल है।

3. वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों में हुई वृद्धि मुख्यतया आंतरिक ऋण पर ब्याज की अधिक आवश्यकता के लिए है।